

आदेश

07.02.2025

2025/22

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

बीरबल

बनाम

धर्मपाल आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 11

वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
07.01.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 07.02.2025 को पेश हो।</p> <p>म</p> <p>07-02-2025 वकील वादी ने प्रिजेन्ट किया कि यह पत्र में राजीनामा होने के कारण आगे नही चलाना चाहते हैं। मौजूदा रिचार्ज में जारीज करवाना चाहते हैं। शरत वाद का मौजूदा रिचार्ज में जारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर बाद वकील तत्काल अपना फाइल प्रकृत हो।</p> <p>म</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	<p>दावा आगे नहीं चलाना चाहते हैं।</p> <p>Ranabhai</p> <p>07/02/2025</p>

